अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा 4 मार्च, 2022 को इस सदन को संस्तुतित बजट प्रस्तावों पर चर्चा में कुल 49 माननीय सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें भाजपा के 25 सदस्य, कांग्रेस के 22 सदस्य, सी.पी.आई. (एम) के एक सदस्य तथा एक निर्दलीय सदस्य शामिल है। सभी माननीय सदस्यों ने बढ़–चढ़ कर चर्चा में भाग लिया तथा सदन में अपने विचार एवं सुझाव रखे। जहाँ इस बजट अधिकाँश माननीय विधायकों का भरपूर समर्थन मिला है वहीं कुछ माननीय विधायकों द्वारा इस बजट की तथ्यहीन आलोचना भी की गई है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का ध्यान बजट दस्तावेज़ों की प्रमाणिकता की ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहूँगा कि माननीय सदन में प्रस्तुत बजट में प्रत्येक आँकड़े तथा सूचना के प्रति सरकार उत्तरदायी है। ऐसे में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा बजट को बिना किसी सबूत के **'झूठ का पुलिंदा'** कहना अशोभनीय है।

वर्तमान सरकार की बढ़ती लोकप्रियता इस ओर संकेत करती है कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तुत पाँचों बजटों में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुये प्रदेश में विकास की प्रक्रिया को समावेशी बनाया गया है। चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा की गई आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों में जो नई योजनायें घोषित की हैं उनमें से लगभग सभी योजनायें धरातल पर उतारी गईं हैं तथा इन योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता के सभी वर्गों को सीधे रूप से मिल रहा है। हमारी सरकार द्वारा घोषित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त की गईं उपलब्धियों में से कुछ का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

- हमारी सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा दायरे में अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। 2017–18 में सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों की संख्या लगभग 4 लाख 25 हजार थी जो कि 2022–23 में बढ़कर

साढ़े सात लाख हो जाएगी। हमारी सरकार ने वृद्धावस्था पैंशन की आयु को 80 वर्ष से घटाकर बिना किसी आय सीमा के 60 वर्ष किया है। इसी के साथ सामाजिक सुरक्षा पैंशन में अप्रत्याशित वृद्धि की है। 2017 में जहाँ इस योजना पर 450 करोड़ रुपये व्यय किये जाते थे वही 2022–23 में इस योजना पर लगभग 13 सौ करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। बजट अभिभाषण में वर्णित 40 हजार वे अतिरिक्त आवेदक हैं जो बजट में घोषित बदलावों से पूर्व के आवेदक हैं। बजट में घोषणाओं के लागू होते ही 2022–23 में लगभग एक लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को इस योजनाओं का लाभ मिल पाएगा।

- अध्यक्ष महोदय, 2 वर्ष पूर्व हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के सभी लम्बित पात्र आवेदकों को आवासीय सुविधा प्रदान करने का संकल्प लिया था। इसी संकल्प को पूरा करने हेतु किये गये प्रयासों के तहत पिछले 2 वर्षों में लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से अनुसूचित जाति तथा अन्य वर्गों के लगभग 22 हजार लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। 2022–23 में अनुसूचित जाति वर्ग के शेष बचे 7 हजार 628 लाभार्थियों को भी लाभान्वित कर दिया जाएगा।

- **'मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना'** के अन्तर्गत लगभग 2 हजार 231 इकाईयों के लिए 85 करोड़ रुपये की अनुदान राशि वितरित की गई है। 2022–23 के बजट अभिभाषण में इस योजना के अन्तर्गत सभी महिलाओं को मिलने वाला उपदान बढ़ाकर 35 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जन–जाति और दिव्यांगजन लाभार्थियों को पहली बार 30 प्रतिशत उपदान की घोषणा की गई है।

- **हिमकेयर योजना** के अन्तर्गत 5 लाख 13 हजार परिवारों को कार्ड जारी किये गए हैं तथा जनवरी, 2022 तक 2 लाख 27 हजार लाभार्थियों को लगभग 201 करोड़ रुपये की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान किया गया है। 2022–23 से इस योजना के अन्तर्गत होने वाला पंजीकरण पूरा साल करवाया जा सकेगा तथा एक बार का पंजीकरण 3 वर्ष तक के लिए मान्य होगा। इसके साथ ही प्रदेश की कारागारों में बन्दियों को भी इस योजना के अन्तर्गत कवर किया जाएगा।

- **'हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना'** के अन्तर्गत हमारी सरकार द्वारा कुल 3 लाख 24 हजार पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाये हैं तथा प्रदेश को धुआँ मुक्त राज्य बनाया गया है। आगामी वर्षों में भी सभी पात्र परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाएगा तथा 2022–23 से इस योजना के तहत मिलने वाले निःशुल्क सिलेंडरों की संख्या को बढ़ाकर 3 कर दिया गया है।

- अध्यक्ष महोदय, 2021–22 में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से चौथी किश्त प्राप्त की है। इस योजना के कार्यान्वयन से 2022 के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्र के सभी परिवारों तक पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि पिछले 72 सालों में केवल 7 लाख 63 हजार नल कनेक्शन लगाये गये जबकि हमारी सरकार के पिछले 2 वर्षों में ही 8 लाख 35 हजार नल कनेक्शन लगाये जा चुके हैं।

- हमारी सरकार द्वारा प्रथम मन्त्रिमण्डल बैठक में ही गौ–सेवा का संकल्प लिया गया था। गौशालाओं

तथा Cow Sanctuaries में जहाँ गौ–वँश की संख्या केवल 6 हजार थी आज वह बढ़कर 20 हजार हो गई है। गौ–वँश सेवा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2022–23 से 'गोपाल' नाम की व्यवस्था के अन्तर्गत निजी गौ–सदनों को 700 रुपये प्रति गाय प्रतिमाह अनुदान दिया जाएगा। इसी के साथ पशुओं को छोड़ने की प्रवृति की रोकथाम के लिए कड़े प्रावधानों के साथ कानून भी बनाया जाएगा।

- 2018–19 में आरम्भ की गई **'प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान'** योजना के अन्तर्गत 1 लाख 60 हजार किसानों की 23 हजार एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत लाया जा चुका है। इससे उनकी लागत में भी कमी आई और साथ ही 12 प्रतिशत से लेकर 64 प्रतिशत तक आय में वृद्धि हुई। 2022–23 के अन्त तक 50 हजार एकड़ भूमि को प्राकृतिक कृषि के अधीन लाया जाएगा तथा प्राकृतिक कृषि उत्पाद की certification सुनिश्चित करने के बाद उन्हें बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध करवाये जाएंगे।

- **'हिमाचल पुष्प क्रान्ति योजना'** के अन्तर्गत 58 हजार 561 वर्गमीटर में पॉली हाऊस बनाकर 114 बागवानों को फूल उगाने के लिए सहायता प्रदान की गई है। 2022–23 में आर्केड और अन्य सजावटी पौधों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस पर 11 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

- अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के पाँच वर्षों की तुलना में हमारी सरकार के कार्यकाल के 4 वर्षों में ही 33 किलोमीटर अधिक जीप योग्य सड़कों, 660 किलोमीटर अधिक मोटर योग्य सड़कों, 1 हजार 8 किलोमीटर अधिक पक्की सड़कों तथा

13 अधिक पुलों का निर्माण किया जा चुका है। 2022–23 में घोषित लक्ष्यों को भी हमारी सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा।

- 2021–22 में कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत 38 हजार 275 लाभार्थियों को 18 करोड़ रुपये, औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत 2 हजार 532 लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपये की राशि तथा 66 हजार 280 लाभार्थियों को 39 करोड़ रुपये की राशि बेरोज़गारी भत्ता के रूप में दी गई है।

- हमारी सरकार द्वारा भरसक प्रयास किये गए कि कोविड–19 महामारी के दौरान प्रदेश वासियों विशेषकर निम्न आय वर्ग के कामगारों तथा व्यवसायियों के जीवन यापन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके लिए हमारी सरकार द्वारा निम्न सहायता प्रदान की गई।
    - परिवहन क्षेत्र में टोकन टैक्स, स्पैशल रोड टैक्स तथा यात्री और माल कर में 153 करोड़ रुपये की सहायता।
    - निजी बस ऑपरेटरों को 5 साल के लिये interest subvention पर ऋण।
    - पर्यटन क्षेत्र के उद्यमियों के लिये 5 वर्ष के लिये interest subvention पर ऋण।
    - 1 लाख 16 हजार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 19 करोड़ 67 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई।
    - कोविड से लड़ने के लिये प्रथम तथा दूसरी डोज़ का सफल टीकाकरण।
    - ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु कोविड–19 से हुई परन्तु उनकी प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजना

में पात्रता नहीं थी को 50 लाख रुपये का बीमा कवर।

- **स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना** के अन्तर्गत 12 हजार लाभार्थियों को मकान के लिये सहायता राशि दी गई।
- कोविड रोगियों को होम आईसोलेशन में बेहतर उपचार के लिये ब्लॉक स्तर पर मोबाईल टीमों का गठन।
- मेरे सहित सभी कैबिनेट सहयोगियों द्वारा एक माह का वेतन मुख्यमन्त्री कोविड कोष में दिया गया।
- मैं प्रदेश के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कुछ दिनों का वेतन तथा 18 माह का मंहगाई भत्ता कोविड कोष में देने के लिये आभार व्यक्त करता हूँ।
- कोविड से मृत व्यक्तियों के दाह संस्कार के लिये आवश्यक सहायता प्रदान की गई।
- बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिये 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिये दूरदर्शन ज्ञानशाला के माध्यम से ऑनलाईन कक्षाओं का प्रावधान किया गया।
- शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं के लिये मुख्यमन्त्री शहरी रोजगार गारंटी योजना आरम्भ की गई।
- सामाजिक सुरक्षा पैंशन के लाभार्थियों, पैरावर्कर्ज़ तथा अन्य कर्मियों/कर्मचारियों के लिये संशोधित दरों से त्वरित रूप से राशि का वितरण।

➢ 2022–23 के बजट में 10 नई योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है जिनके माध्यम से प्रदेश के हर वर्ग के व्यक्ति को लाभ पहुँचाने का प्रयास है। अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त से स्पष्ट है कि हमारी सरकार द्वारा आरम्भ की गईं सभी योजनायें धरातल पर उतरी हैं

तथा इनका लाभ प्रदेश की जनता तक पहुंचाया जा रहा है।

कांग्रेस की पिछली सरकार के कार्यकाल के प्रथम 4 वर्षों तथा वर्तमान सरकार के प्रथम 4 वर्षों के तुलनात्मक विवरण

➢ अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन का ध्यान कांग्रेस की पिछली सरकार के कार्यकाल के प्रथम 4 वर्षों तथा वर्तमान सरकार के प्रथम 4 वर्षों के तुलनात्मक विवरण की ओर आकर्षित करना चाहूंगाः–

1. वार्षिक योजना परिव्यय

Plan/Development Budget Outlays (₹ in crore)			
Previous Govt.		Present Govt.	
2013-14	4100.00	2018-19	6300.00
2014-15	4400.00	2019-20	7100.00
2015-16	4800.00	2020-21	7900.00
2016-17	5200.00	2021-22	9405.00
2017-18	5700.00	2022-23	9524.00
Total	24200.00	Total	40229.00

- पिछली सरकार के पाँच वर्षों के दौरान कुल 24 हजार 200 करोड़ रुपये के योजना परिव्ययों का प्रावधान किया गया।

- वर्तमान सरकार के पाँच वर्षों के दौरान 40 हजार 229 करोड़ रुपये के योजना परिव्ययों का प्रावधान किया गया जो कि लगभग दोगुना है। यह प्रदेश के तीव्र विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

2. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना

VKVNY ALLOCATIONS (₹in crore)			
Previous Govt.		Present Govt.	
2013-14	0.50	2018-19	1.25
2014-15	0.50	2019-20	1.50
2015-16	0.75	2020-21	1.75
2016-17	1.00	2021-22	1.80

- पूर्व की सरकार ने अपने प्रथम चार वर्षों के कार्यकाल में इस आवंटन के तहत 50 लाख रूपये की वृद्धि की थी।
- इसके विपरीत वर्तमान सरकार ने अपने प्रथम के चार वर्षों के कार्यकाल में 55 लाख रूपये की वृद्धि की है।

3. नाबार्ड के तहत विधायक स्कीमों हेतु प्रति निर्वाचन क्षेत्र की सीमा बारे।

- पूर्व की सरकार ने अपने प्रथम चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान इस सीमा में 38 करोड़ रूपये की वृद्धि की थी।
- वर्तमान सरकार ने अपने प्रथम के चार वर्षों के कार्यकाल में इस सीमा को 55 करोड़ रूपये बढ़ाया है।

Per Constituency Limit under NABARD for MLAs' Schemes (₹in crore)				**Allocations under NABARD for MLAs' Schemes (₹in crore)**			
Previous Govt.		Present Govt.		Previous Govt.		Present Govt.	
2013-14	-	2018-19	90.00	2013-14	423.50	2018-19	653.00
2014-15	32.00	2019-20	105.00	2014-15	393.50	2019-20	735.00
2015-16	50.00	2020-21	120.00	2015-16	459.22	2020-21	833.70
2016-17	70.00	2021-22	135.00	2016-17	505.08	2021-22	951.67
				Total	1781.30		3173.37

4. नाबार्ड के अन्तर्गत विधायक प्राथमिकता योजनाओं पर परिव्यय

- पूर्व की सरकार ने अपने प्रथम चार वर्षों के कार्यकाल में विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए कुल 1 हजार 781 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।

- जबकि वर्तमान सरकार ने अपने प्रथम चार वर्षों के कार्यकाल में विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए कुल 3 हजार 173 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

5. नाबार्ड के अन्तर्गत विधायक प्राथमिकता योजनाओं के तहत स्वीकृतियां

Amount under NABARD sanctions (₹in crore)				NABARD sanctions (in No.)			
Previous Govt.		Present Govt.		Previous Govt.		Present Govt.	
2013-14	561.27	2018-19	630.25	2013-14	142	2018-19	204
2014-15	766.50	2019-20	825.30	2014-15	161	2019-20	184
2015-16	705.69	2020-21	926.24	2015-16	170	2020-21	251
2016-17	605.74	2021-22	1012.61	2016-17	125	2021-22	187
Total	2639.20		3394.40		598		826

- पूर्व सरकार के प्रथम चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान नाबार्ड से विधायक प्राथमिकता की 2 हजार 639 करोड़ रुपये की लागत से 598 योजनायें स्वीकृत हुई थीं।
- वर्तमान सरकार ने अपने प्रथम चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान नाबार्ड से विधायक प्राथमिकता की 3 हजार 394 करोड़ रुपये की लागत से 826 योजनायें स्वीकृत करवाई हैं।
- उपरोक्त तुलनात्मक आँकड़े हमारी सरकार की तीव्र और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

६. प्रमुख क्षेत्रों में तुलनात्मक परिव्यय

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा कहा गया कि हमारी सरकार विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यय करने में असफल रही है। मैं इस सन्दर्भ में कुछ तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगा जो स्वयं ही इस बात की ओर संकेत करेंगे कि हमारी सरकार ने किस प्रकार विकास के लिये सभी आवश्यक प्रयास किये हैं।

(Rs. in crore)

Sr. No.	Sector/Department	Total outlays between 2013-14 and 2016-17	Total outlays between 2018-19 and 2021-22	Percentage increased
1.	Health	5244	10195	94.42
2.	Public Works	10430	17131	64.25
3.	Education	19203	30683	59.78
4.	RD & PR	3868	6867	77.54
5.	Home	3448	6545	89.81
6.	Agriculture	1634	2480	51.74
7.	Animal Husbandry	1197	1819	51.97
8.	Horticulture	908	2016	122.00
9.	Jal Shakti	7293	11920	63.44

पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि के मानदेय में बढ़ौतरी

- अध्यक्ष, जिला परिषद को 3,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 7,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई।

- उपाध्यक्ष, जिला परिषद को 2,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 4,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई।

- सदस्य, जिला परिषद को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई।

- अध्यक्ष, पंचायत समिति को 2,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 4,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई।

- उपाध्यक्ष, पंचायत समिति को 1,500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 3,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई।

- सदस्य, पंचायत समिति को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई।

- प्रधान, ग्राम पंचायत को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई।

- उप–प्रधान, ग्राम पंचायत को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1,300 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई।

- सदस्य, ग्राम पंचायत को 50 रुपये बढ़ौतरी के साथ 300 रुपये प्रति ग्राम पंचायत बैठक हेतु मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 75 रुपये प्रति बैठक की वृद्धि की गई।

शहरी निकायों के प्रतिनिधि के मानदेय में बढ़ौतरी

- महापौर, नगर निगम को 3,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 7,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- उप–महापौर, नगर निगम को 1,500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 4,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- काउंसलर, नगर निगम को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- अध्यक्ष, नगर परिषद को 1,500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 8,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 4,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- उपाध्यक्ष, नगर परिषद को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 3,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- पार्षद, नगर परिषद को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1,300 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- प्रधान, नगर पंचायत को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 3,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- उप–प्रधान, नगर पंचायत को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,200 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- सदस्य, नगर पंचायत को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1,500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

पैरावर्कर्ज़ के मानदेय में बढ़ौतरी

- आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,700 रुपये की बढ़ौतरी के साथ अब 9,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्धारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 4,550 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई।

- मिनि आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ अब 6,100 रुपये मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 3,100 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- आँगनवाड़ी सहायिका को प्रतिमाह 900 रुपये की बढ़ौतरी के साथ अब 4,700 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,600 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- आशा वर्कर को 1,825 रुपये की बढ़ौतरी के साथ 4,700 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 3,700 रुपये की प्रतिमाह बढ़ौतरी की गई। इसके अतिरिक्त आशा वर्कर को भारत सरकार का अँशदान तथा Incentives दिये जाने का भी प्रावधान है।

- सिलाई अध्यापिकाओं को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,950 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 1,650 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- मिड डे मील वर्कर्ज़ को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,900 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- जल रक्षक को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,800 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- हाल ही में नियुक्त हुये जल शक्ति विभाग के Multi Purpose Workers को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,900 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- पैरा फिटर तथा पम्प–ऑपरेटर को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- दिहाड़ीदारों को 50 रुपये बढ़ौतरी के साथ 350 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में न्यूनतम 140 रुपये प्रतिदिन अर्थात् 4,200 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- इसके साथ हमारी सरकार के कार्यकाल में आउटसोर्स कर्मियों की दिहाड़ी में न्यूनतम 4,200 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी हो जाएगी। प्रत्येक आउटसोर्स कर्मी को अब न्यूनतम 10,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- पंचायत चौकीदार को 900 रुपये की बढ़ौतरी के साथ 6,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,350 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई। पंचायत चौकीदारों की सेवाओं से सम्बन्धित एक स्पष्ट नीति बनाई जाएगी।

- राजस्व चौकीदार को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 2,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- राजस्व लम्बरदार को 900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस बढ़ौतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में 1,700 रुपये प्रतिमाह की बढ़ौतरी की गई।

- SMC अध्यापकों के मानदेय में 1,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी। SMC शिक्षकों की सेवाओं को यथावत् रखा जाएगा। इन अध्यापकों की सेवाओं से सम्बन्धित नीति बनाने के बारे में भी विचार किया जाएगा।

- IT Teachers को 1,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।

- SPOs को 900 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय,

अब मैं बजट पर हुई चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दों पर आता हूँ। यद्यपि मेरे लिए प्रत्येक सदस्य का नाम लेना शायद संभव न हो लेकिन मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना व विचारा गया है।

वक्ता का नाम (पक्ष तथा विपक्ष में वक्तव्य)	**श्री मुकेश अग्निहोत्री (माननीय नेता प्रतिपक्ष), श्री राम लाल ठाकुर (माननीय विधायक, श्री नैना देवी जी), श्री आशीष बुटेल (माननीय विधायक, पालमपुर), श्री राजेन्द्र सिंह राणा (माननीय विधायक, सुजानपुर)**
प्रश्न	**GST Compensation बन्द होने के बाद संसाधन जुटाने के क्या उपाय हैं तथा क्या 31 मार्च, 2022 तक कुल ऋण 70 हजार करोड़ रुपये पहुंच जाएगा? Excise नीलामी न करने के कारण भी नुकसान हो रहा है।**
उत्तर	हमारी सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाने का पूरा प्रयास किया है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि वर्तमान सरकार के चार वर्षों के कार्यकाल में केन्द्र सरकार द्वारा खुले बाजार से ऋण उठाने के लिये प्राधिकृत सीमा के विरुद्ध हर वर्ष कम ऋण लिया है। वर्तमान सरकार द्वारा दिसम्बर, 2017 में अपना कार्यभार सम्भालने के बाद पहली बार यह प्रयास किया कि बाजार ऋण प्राधिकृत सीमा से कम ऋण लिया जाए तथा इस दिशा में वर्ष 2017–18 के अन्तिम तिमाही (जनवरी–मार्च) में जो कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में है, 800 करोड़ रुपये कम ऋण उठाये गये। तदोपरान्त आगामी हर वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत सीमा से कम ऋण लिये

गये।

(रुपये करोड़ों में)

वित्तीय वर्ष	भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत ऋण सीमा	राज्य सरकार द्वारा लिये गये वास्तविक ऋण	प्राधिकृत सीमा से कम ऋण
2017–18 (जनवरी से मार्च)	–	–	800
2018–19	5,837	4,210	1627
2019–20	6,589	6,580	9
2020–21	9,187	6,000	3187
2021–22 (3 मार्च 2022 तक)	9,384	4,000	5384

- मेरी सरकार के कार्यकाल में अब तक हमने 5384 करोड़ रुपये का मार्किट ऋण प्राधिकृत ऋण से कम लिया है।
- वर्ष 2018–19 में खुले बाजार से ऋण उठाने के लिये प्राधिकत सीमा के विरुद्ध 1,627 करोड़ रुपये के कम ऋण लिये गये।
- वर्ष 2019–20 में भी प्राधिकृत सीमा से कम ऋण लिये गये।
- वर्ष 2020–21 में प्राधिकृत सीमा से 3,187 करोड़ रुपये के कम ऋण लिये गये।
- इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये भारत सरकार द्वारा 9,384 करोड़ रुपये का ऋण खुले बाजार से उठाने के लिये प्राधिकृत किया है जिसके विरुद्ध अभी तक केवल 4,000 करोड़ रुपये का ऋण ही लिया गया है तथा 5,384 करोड़ रुपये के कम ऋण लिये गये।

	➢ इस प्रकार से वर्तमान सरकार के विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन की वजह से ब्याज की carrying cost कम रही तथा आगामी समय में प्रदेश पर कर्जे का भार अपेक्षाकृत कम होगा। ➢ यह इस कारण सम्भव हो पाया क्योंकि हमने अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाई, साथ ही इस दौरान केन्द्र सरकार की विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं और अन्य सहायता राशि का भरपूर सहयोग रहा। फलस्वरूप प्रदेश के विकास को गति देने में बल मिला तथा इसका सीधा लाभ आम जनता को मिला। ➢ इस वर्ष राजस्व प्राप्तियों में भी बढ़ौतरी हुई है जिससे प्रदेश की कर्जों पर निर्भरता कम हुई है। ➢ 2022–23 में 9 हजार 282 करोड़ रुपये कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने का अनुमान है। यह राजस्व 2021–22 की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और गति मिल पाएगी।

वक्ता का नाम (पक्ष तथा विपक्ष में वक्तव्य)	**श्री मुकेश अग्निहोत्री (माननीय नेता प्रतिपक्ष), श्री महेन्द्र सिंह (माननीय मंत्री एवं विधायक, धर्मपुर), श्री जगत सिंह नेगी (माननीय विधायक, किन्नौर), श्री हर्षवर्धन चौहान (माननीय विधायक, शिलाई), श्री राकेश सिंघा (माननीय विधायक, ठियोग), श्री राम लाल ठाकुर (माननीय विधायक श्री नैना देवी जी), श्री नंद लाल (माननीय विधायक, रामपुर), श्री आशीष बुटेल (माननीय विधायक, पालमपुर), श्री राजेन्द्र सिंह राणा (माननीय विधायक, सुजानपुर), श्री विनय कुमार (माननीय विधायक, श्री रेणुका जी), श्री मोहन लाल ब्राक्टा (माननीय विधायक, रोहडू), श्री सुन्दर सिंह ठाकुर (माननीय विधायक, कुल्लू)।**
प्रश्न	**कर्मचारियों के लिये बजट में कुछ भी नहीं है। संशोधित वेतनमानों में राईडर लगा दिया गया है तथा पुरानी पैंशन योजना, आउटसोर्स कर्मियों के लिये ठोस नीति नहीं है? 30 हजार नौकरियां केवल कागजों में है जिस प्रकार 8 हजार अंशकालीन मल्टी टॉस्क वर्कर्ज़ शिक्षा विभाग तथा 5 हजार अँशकालीन मल्टी टॉस्क वर्कर्ज़ लोक निर्माण विभाग में अभी तक भर्ती नहीं हो पाये हैं ?**
उत्तर	**I–नये वेतनमान** 1. हमारी सरकार ने 2 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिये नया वेतनमान प्रदान किये। 2. लगभग तीन चौथाई सरकारी कर्मचारी संशोधित वेतनमान लेने के लिए अपना option दे चुके हैं। संशोधित वेतन निर्धारण एक Technical कार्य है जिसको तत्परता से

किया जा रहा है। लगभग 60 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी नए वेतनमान के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन ले रहे हैं। शेष कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा।

3. कर्मचारियों को तीसरी option भी दी गई है।

4. Rider की बात की गई है। नये वेतनमानों में उच्च वेतन/ लाभों की सुरक्षा दी गई है। Recovery न हो इसका प्रावधान किया गया है। नियमों में rider लगाने का प्रावधान नहीं है। पंजाब की तरह 2009 के वेतन नियमों के ही आधार पर वेतन निर्धारण करने का प्रावधान किया गया है। इस बार के नियमों में कुछ complexity है। कर्मचारियों के संगठनों से कुछ वेतन सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं जिनको सरकार द्वारा गठित Expert Committee निरीक्षण कर उचित हल निकाला जाएगा। नये वेतनमानों/संशोधित पैंशन पर सरकार लगभग 5 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त खर्च करेगी।

II– पंजाब और हिमाचल कर्मचारी/पेंशनर–DA का Comparison

हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कर्मचारियों/पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता की स्थिति विशेषकर 2015 के बाद।

हिमाचल सरकार ने अपने कर्मचारियों/ पैंशनरों को महंगाई भत्ता पंजाब से अधिक और केन्द्र की तरह देय तिथि से दिया है। इसके विपरीत पंजाब सरकार ने न केवल हिमाचल प्रदेश सरकार के मुकाबले कम महंगाई भत्ता दिया बल्कि महंगाई भत्ता prospective date से देकर 50 महीनों से ऊपर का DA/Dearness Relief की राशि, पंजाब सरकार ने अपने पास ही रखी। हमारा

अनुमान है कि पंजाब के लगभग 4 लाख कर्मचारियों और 3 लाख पैंशनरों का लगभग 5 हजार करोड़ रुपये महंगाई भत्ते की राशि को 2016 और 2021 के बीच, पंजाब सरकार ने अपने पास ही रखा बजाये इसके कि यह लाभ कर्मचारियों/ पैंशनरों को दिया जाता।

इस प्रकार से पंजाब सरकार ने परम्परा/ परिपाटी से हटकर कर्मचारियों/पैंशनरों को न केवल हिमाचल प्रदेश के मुकाबले कम महंगाई भत्ता दिया बल्कि उसे prospective date से दिया। हिमाचल के कर्मचारी/पैंशनरों को महंगाई भत्ता का अतिरिक्त लाभ कैसे मिला यह निम्न टेबल से स्पष्ट है:–

महंगाई भत्ता दर (प्रतिशतता)	पंजाब महंगाई भत्ता किस तिथि से लागू	हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा दिया महंगाई भत्ता (प्रतिशतता)	किस तिथि से लागू
119	1–1–16 से 30–6–16	125	1–1–16 से 30–6–16
125	1–11–16 से 31–12–16	130	1–7–16 से 31–12–16
132	1–1–17 से 31–1–19	134	1–1–17 से 31–12–17
139	1–2–19 से 30–6–19	148	1–11–19 से 30–6–19
142	1–11–19 से 29–2–20	153	1–7–19 से 31–12–19
148	1–3–2020	153	1–1–20 से 30–6–20
	153	153	1–7–20 से 31–12–20
	153	153	1–1–21 से 30–6–21
		159	1–7–21 से 31–12–21

1. यही कारण है कि पंजाब में कर्मचारियों/ पैंशनरों का वेतन संशोधन में अधिक बकाया बना है चूंकि पंजाब में उन्हें कम DA और कम IR दिया गया था। एक अनुमान है कि

	हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब के कर्मचारियों के मुकाबले लगभग 10 से 12 प्रतिशत अधिक emoluments (Salary+DA+IR) के रूप में दिये गये हैं। अन्य भत्ते के लिये हिमाचल प्रदेश के अपने नियम हैं और उस बारे वह पंजाब के भत्तों से भिन्न भत्ते देता है। **III- Interim Relief** 1. Interim Relief हिमाचल और पंजाब की भी तुलना की गई है। हिमाचल ने 21 प्रतिशत IR दिया है जबकि पंजाब ने केवल 5 प्रतिशत IR दिया। 2. हिमाचल के average कर्मचारी को लगभग 2 लाख 55 हजार रुपये अंतरिम राहत के रूप में दिये गये। पंजाब के कर्मचारी को 1 लाख 28 हजार रुपये अंतरिम राहत दी गई। हिमाचल का IR लगभग दोगुना है। 3. हिमाचल के पैंशनर को औसतन 1 लाख 27 हजार रुपये अंतरिम राहत के रूप में दिये गये। पंजाब के पैंशनर को औसतन 64 हजार रुपये अंतरिम राहत दी गई। हिमाचल ने दोगुना IR दिया है। 4. कर्मचारियों/पैंशनरों को दिये गये कुल अंतरिम राहत राशि जो लगभग 6 हजार 500 करोड़ रुपये है में से 3 हजार 500 करोड़ रुपये का भुगतान हमारी सरकार के कार्यकाल में किया गया है।

राष्ट्रीय पैंशन प्रणाली (National Pension System)

1. वर्ष 1971 से ही हिमाचल प्रदेश पैंशन के मामले में केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार लाभ प्रदान करता है।

2. केन्द्र सरकार ने 2004 में अपने कर्मचारियों के लिये NPS लाने का फैसला लिया गया। 2003 में उस समय की प्रदेश सरकार ने भी 15–5–2003 से प्रदेश में NPS लागू की।

3. केन्द्र सरकार ने NPS को IAS/IPS/Income Tax अधिकारियों के लिए भी 2004 से लागू किया।

4. वर्तमान समय में सभी राज्यों (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) एवं केन्द्र में राष्ट्रीय पैंशन प्रणाली लागू है। केवल सेना में राष्ट्रीय पैंशन प्रणाली लागू नहीं है।

हमारी सरकार की उपलब्धियां

5. हमारी सरकार ने NPS कर्मियों को अनेक लाभ दिये हैंः–

   (i) हमारी सरकार ने सरकारी अँशदान को दिनांक 1–4–2019 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जिससे NPS कर्मचारियों को 175 करोड़ रुपये का लगातार अतिरिक्त वार्षिक लाभ मिल रहा है। इससे एक लाख से अधिक NPS कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी सरकार अँशदान को 10 प्रतिशत से 14 प्रतिशत करने वाले अग्रणीय राज्यों में से है।

   (ii) पिछली सरकार ने बड़ी देर बाद Retirement /Death Gratuity लाभ दिया वह भी prospective तिथि 22–9–2017 से इसे लागू किया। इस कारण छै कर्मचारी जो दिनांक 15–5–2003 से 21–9–2017 के दौरान सेवानिवृत हुये थे वे इस लाभ से वंचित रह गये। हमने इन कर्मचारियों को भी Death-cum-Retirement Gratuity का लाभ दिया जिससे 5,612 NPS कर्मचारियों को 150 करोड़ रुपये का लाभ मिला।

(iii) NPS कर्मचारियों को Invalid Pension और Family Pension देने के आदेश दिनांक 22-2-2022 को हमारी सरकार ने जारी किये। अब 15-5-2003 के बाद सेवाकाल में मृत अथवा अपंग हुए लगभग 2,200 NPS कर्मचारियों के परिवारों को पारिवारिक पैंशन तथा Invalid Pension का लाभ CCS (Pension) Rules, 1972 की तरह मिलेगा जिस पर करीब 250 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पिछली सरकार चाहती तो वह अपने समय में केन्द्र सरकार की तरह यह Invalid Pension दे सकती थी। इन आदेशों से NPS कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी।

(iv) NPS कर्मचारियों को Retirement/Death Gratuity के लाभ OPS कर्मियों की तरह दिया जा रहा है। हमने इसकी ऊपरी सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख करने का निर्णय लिया है।

NPS को OPS कर्मियों के बराबर के लाभ

(v) मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि NPS कर्मचारियों को भी DCRG, Leave Encashment/GIS/Ex-gratia, Medical Reimbursement का लाभ पुरानी पैंशन प्रणाली में आने वाले कर्मचारियों के समान दिया जा रहा है।

(vi) प्रदेश सरकार ने NPS के अन्तर्गत आने वाले इन कर्मचारियों की मांगों व शिकायतों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने तथा कर्मचारियों के हितों में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश, की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। इस बावत अधिसूचना दिनांक 2-3-2022 को जारी की गई है। यह समिति NPS कर्मचारियों की मांगों पर विचार विमर्श करके सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी।

2018 से 2022 तक राज्य के कर्मचारियों/पैंशनरों को दिये गये लाभ

क्रम संख्या	मद	रुपये करोड़ों में
1.	हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसिज़ (संशोधित वेतन) नियम–2022 । कर्मचारियों तथा पैंशनरों को मंहगाई भत्ते सहित प्रतिवर्ष देय राशि	5000.00
2.	1–7–2017 से 1–7–2019 तक राज्य कर्मचारियों को 19 प्रतिशत मंहगाई भत्ता तथा All India Services को 13 प्रतिशत मंहगाई भत्ता	1140.00
3.	1–4–2018 से Contract कर्मचारियों के मानदेय में 25 प्रतिशत (कुल 100 प्रतिशत), 1–4–2019 से 25 प्रतिशत (कुल 125 प्रतिशत) तथा 1–4–2020 से 25 प्रतिशत (कुल 150 प्रतिशत) वृद्धि	50.00
4.	NPS कर्मी जो सेवाकाल में मृत अथवा दिव्यांग हुये को Invalid Pension and Family Pension	250.00
5.	Death –cum- Retirement Gratuidy में 10 लाख से 20 लाख रुपये तक वृद्धि	160.00
6.	2017 में दैनिक दिहाड़ी 210 रुपये से 2021 में 300 रुपये की बढ़ौतरी	32.40
7.	हमारी सरकार द्वारा 12 प्रतिशत अन्तरिम राहत	780.00
8.	2019 में हमारी सरकार द्वारा NPS Employees के लिये सरकारी अंशदान में 10 प्रतिशत से 14 प्रतिशत वृद्धि	250.00
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पैंशन के उद्देश्य से सेवा लाभ	3.45
10.	2003 से 2017 के बीच लगभग 5,000 सेवा निवृत अथवा मृत कर्मचारियों को NPS के अन्तर्गत Retirement Gratuity or Death Gratuity	110.00
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 20 साल का सेवाकाल पूरा करने के बाद एक अतिरिक्त increment	24.00
12.	दृष्टिबाधित तथा दिव्यांगजनों को conveyance allowance में 500 रुपये से 750 रुपये वृद्धि	0.50
13.	वाहन चालकों के वर्दी भत्ता तथा धुलाई भत्ते में 200 रुपये प्रतिमाह से 300 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि	0.72
14.	कोविड महामारी के दौरान outsourced कर्मियों को मानदेय के लिये उपस्थिति सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने में छूट	-
कुल जोड़		**7801.07**

वक्ता का नाम (पक्ष तथा विपक्ष में वक्तव्य)	**श्री मुकेश अग्निहोत्री (माननीय नेता प्रतिपक्ष), श्री राजेन्द्र गर्ग (माननीय मंत्री एवं विधायक, घुमारवीं), श्री राम लाल ठाकुर (माननीय विधायक, श्री नैना देवी जी), श्री जगत सिंह नेगी (माननीय विधायक, किन्नौर), श्री पवन काजल (माननीय विधायक, काँगड़ा), श्री आशीष बुटेल (माननीय विधायक, पालमपुर), श्री राजेन्द्र सिंह राणा (माननीय विधायक, सुजानपुर), श्री सुन्दर सिंह ठाकुर (माननीय विधायक, कुल्लू), श्री सतपाल रायजादा (माननीय विधायक, ऊना)**
प्रश्न	**उज्जवला के अन्तर्गत केवल 1 सिलेंडर दिया जा रहा है तथा LPG की कीमतें आसमान पर पहुंच रही हैं के बारे बजट में कोई वर्णन नहीं है।**
उत्तर	अध्यक्ष महोदय, मेरे बजट अभिभाषण से स्पष्ट है कि उज्जवला तथा ग्रहिणी सुविधा योजना दोनों के ही अन्तर्गत एक लाभार्थी तीन निःशुल्क सिलेंडर पाने के लिये पात्र हैं। पहला निःशुल्क सिलेंडर कनेक्शन के समय दिया जा रहा है तथा शेष दो रिफिल सिलेंडर आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क दिये जा रहे हैं।

वक्ता का नाम (पक्ष तथा विपक्ष में वक्तव्य)	**श्री मुकेश अग्निहोत्री (माननीय नेता प्रतिपक्ष), श्री जगत सिंह नेगी (माननीय विधायक, किन्नौर), श्री हर्षवर्धन चौहान (माननीय विधायक, शिलाई), श्री नंद लाल (माननीय विधायक, रामपुर), श्री आशीष बुटेल (माननीय विधायक, पालमपुर), श्री राजेन्द्र सिंह राणा (माननीय विधायक, सुजानपुर), श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर (माननीय विधायक, हमीरपुर), श्री जिया लाल (माननीय विधायक, भरमौर), श्री हीरा लाल (माननीय विधायक, करसोग)**
प्रश्न	**पिछले वर्ष minus growth rate के बाद 2021–22 में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि विश्वास योग्य नहीं है। बजट में मंहगाई के बारे कोई जिक्र नहीं है।**
उत्तर	2020–21 में आर्थिक विकास दर (–)6.2 प्रतिशत होने का अनुमान था जो कि संशोधित अनुमानों के अनुसार (–)5.2 प्रतिशत रह गई जिसका विस्तृत ब्यौरा आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22 में पैरा संख्या 2.2 तथा 1.3 में दिया गया है। 2021–22 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 8.3 प्रतिशत होने का अनुमान है तथा यह अनुमान निम्नलिखित पर आधारित हैः– 1. 2020–21 में GSDP में 2 हजार 487 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई थी जबकि 2021–22 में इसमें 18 हजार 498 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है। 2. कोविड के कारण आई मन्दी के बाद manufacturing sector में अत्यधिक मांग की

	वृद्धि हुई जिसके कारण बिजली की खपत भी बढ़ी। इन दो कारणों से इस सैक्टर में तेज़ी आई। 3. कोविड के कारण परिवहन तथा पर्यटन क्षेत्रों में आई गिरावट के बाद इन दो क्षेत्रों में भी जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। 4. राष्ट्रीय स्तर पर भी 2020–21 के दौरान आर्थिक विकास दर (–)7.6 प्रतिशत रही थी जो कि 2021–22 के अनुमानों के अनुसार 9.2 प्रतिशत रहेगी। कोविड महामारी के दौरान आई मंदी के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना स्वभाविक था किन्तु इसके बाद इन कीमतों पर काफी हद तक नियन्त्रण पा लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के एक पूर्व प्रधानमन्त्री द्वारा मंहगाई पर की गई टिप्पणी की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। उन्होंने यह कहा था कि हमारी सरकार द्वारा आशा के अनुरूप मंहगाई पर नियन्त्रण नहीं पाया जा सका है। इसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि है। इन महोदय के इस कथन के विपरीत हमारी सरकार प्रदेश में मंहगाई दर को 6 प्रतिशत तक लाने में सफल रही है जबकि जिस समय इन प्रधानमन्त्री ने यह बात कही थी उस समय राष्ट्रीय स्तर पर मंहगाई दर 10.1 प्रतिशत थी। पिछले दो वर्षों में आई तमाम कठिनाईयों के बावजूद हमारी सरकार मंहगाई पर नियन्त्रण रखने में सफल रही है।

वक्ता का नाम (पक्ष तथा विपक्ष में वक्तव्य)	**श्री मुकेश अग्निहोत्री (माननीय नेता प्रतिपक्ष), श्री गोबिंद सिंह ठाकुर (माननीय मंत्री एवं विधायक, मनाली), श्री हर्षवर्धन चौहान (माननीय विधायक, शिलाई), श्री आशीष बुटेल (माननीय विधायक, पालमपुर)**
प्रश्न	**मेधावी छात्रों को अभी तक Lap-Top क्यों नहीं बांटे गये हैं तथा मण्डी विश्वविद्यालय के लिये कोई भी बजट प्रावधान नहीं है।**
उत्तर	कोविड संक्रमण के चलते 2018–19 सत्र के मेधावी छात्रों को Lap-Top देने में विलम्ब हुआ है। फरवरी, 2020 में खरीद प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई थी किन्तु कोविड के कारण लॉकडाउन के चलते e-bid को रद्द करना पड़ा। अक्तूबर, 2020 में GeM Portal के माध्यम से फिर से Lap-Top खरीदने की प्रक्रिया आरम्भ की गई किन्तु Approved Technical Specification के अनुसार किसी भी फर्म ने इसमें भाग नहीं लिया। 2018–19 तथा 2019–20 के लिये 19 हजार 847 मेधावी छात्रों के लिये Lap-Top क्रय करने की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है तथा इन्हें शीघ्र ही वितरित कर दिया जाएगा। 2020–21 के मेधावी छात्रों को Lap-Top के स्थान Digital Smart Phone देने का निर्णय लिया गया है। इन्हें शीघ्र ही वितरित कर दिया जाएगा।

वक्ता का नाम (पक्ष तथा विपक्ष में वक्तव्य)	**श्री मुकेश अग्निहोत्री (माननीय नेता प्रतिपक्ष), श्री नंद लाल (माननीय विधायक, रामपुर), श्री आशीष बुटेल (माननीय विधायक, पालमपुर), श्री संजय अवस्थी (माननीय विधायक, अर्की), श्री सुन्दर सिंह ठाकुर (माननीय विधायक, कुल्लू), श्री किशोरी लाल (माननीय विधायक, आनी)**
प्रश्न	**वर्तमान सरकार द्वारा अभी तक कोई भी मैगा प्रोजैक्ट धरातल पर नहीं उतारा गया है। 2022–23 में मण्डी हवाई अड्डे, रेल लाईनों के निर्माण तथा रज्जू मार्गों के निर्माण हेतु पर्याप्त बजट नहीं है।**
उत्तर	मण्डी हवाई अड्डे के निर्माण के लिये भारतीय विमानापत्तन प्राधिकरण ने सितम्बर, 2021 को LiDAR सर्वेक्षण पूरा किया जिसके अनुसार इसका रनवे 3,150 मीटर लम्बा होगा। उपायुक्त मण्डी द्वारा भू–अधिग्रहण के लिये खसरा नम्बर इत्यादि चिन्हित किये हैं तथा इसके लिये HIPA के माध्यम से Social Impact Assessment करवाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। चयनित 2,936 बीघा भूमि में से 2,517 बीघा भूमि निजी है तथा शेष 419 बीघा भूमि सरकारी है। इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिये सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने में गति दी गई है जिसे 2022 में और तेज किया जाएगा। तीन रेलवे लाईनों क्रमशः भानुपल्ली–बिलासपुर, नंगल – तलवाड़ा तथा चण्डीगढ़–बद्दी के लिये कुल 2,653 करोड़ रुपये के प्रावधान केन्द्रीय बजट में किये गये हैं। प्रदेश सरकार राज्य अँशदान देने के लिये प्रतिबद्ध है जो कि बजटीय तथा पूरक अनुदान मांगों के माध्यम से समय पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पावंटा साहिब जगाधरी तथा ऊना–हमीरपुर रेल लाईनों पर कार्य अभी

	कार्यान्वयन की अवस्था में नहीं है लेकिन इनके लिये सभी औपचारिकतायें शीघ्र पूरी करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं। पर्वतमाला राष्ट्रीय रज्जूमार्ग विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरु की गई एक नई योजना है और इसके अन्तर्गत शीघ्र ही भारत सरकार के साथ चार रज्जू मार्ग निर्मित करने के लिये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये जाएंगे। इसके बाद इनकी DPRs बनाने की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी।

वक्ता का नाम (पक्ष तथा विपक्ष में वक्तव्य)	**श्री मुकेश अग्निहोत्री (माननीय नेता प्रतिपक्ष), श्री जगत सिंह नेगी (माननीय विधायक, किन्नौर), श्री लखबिन्द्र सिंह राणा (माननीय विधायक, नालागढ़)**
प्रश्न	**प्रदेश में फैले खनन माफिया, ड्रग माफिया तथा माफिया पर कोई नियन्त्रण नहीं है तथा कानून व्यवस्था लगातार बदतर हो रही है।**
उत्तर	वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अपराधिक आँकड़ों के विश्लेषण से पाया गया है कि इस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में अपराधों पर पूरा नियन्त्रण है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2018 से 2021 तक कुल 78 हजार 977 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल 2013 से 2016 की अवधि में 67 हजार 325 अभियोग पंजीकृत हुए थे। वर्तमान सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल में पूर्व सरकार के 4 वर्षों की तुलनात्मक अवधि में 11 हजार 652 अभियोगों (14.75 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। जो मुख्यतः आबकारी अधिनियम, मादक पदार्थ अधिनियम, इत्यादि में हुई जहाँ पुलिस ने अपनी सक्रियता दर्शाते हुये नशाखोरी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की है। वर्तमान सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल में पूर्व सरकार के 4 वर्षों की तुलनात्मक अवधि में हत्या, हत्या का प्रयास, महिलाओं के प्रति क्रूरता, चोरी, गृहभेदन, चोट और दंगे व वाहन दुर्घटना के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में भारी कमी आई है। पिछले चार वर्षों में ND & PS Act के अन्तर्गत कई मुख्य तस्करों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। इन मामलों में प्राथमिकता के आधार पर अन्वेषण किया गया तथा पकड़े गये तस्करों की लगभग 20 करोड़ रुपये की सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है तथा 74 प्रतिशत मामलों में अदालतों द्वारा दोषियों को सजा दी गई है। इस व्यवस्था

	को सुदृढ़ करने के लिये प्रदेश में एक नारकौटिक्स सैल, ड्रग फ्री हिमाचल ऐप तथा टोल फ्री नशा निवारण हैल्प लाईन की स्थापना की गई है। पड़ोसी राज्यों के साथ इस बारे समन्वय बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है। इसी प्रकार अवैध खनन से जुड़े मामलों में भी त्वरित रूप से कार्यवाही की जा रही है तथा पूर्व सरकार के कार्यकाल की तुलना में 79 प्रतिशत अधिक जुर्माना वसूल किया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस को कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा अन्य मानकों में बेहतर प्रदर्शन के लिये राष्ट्रपति द्वारा President's Colours से सम्मानित किया गया है। संक्षेप में हिमाचल प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पूर्णतया सन्तोषजनक है तथा प्रदेशवासी इससे सन्तुष्ट हैं।

वक्ता का नाम (पक्ष तथा विपक्ष में वक्तव्य)	**श्री मुकेश अग्निहोत्री (माननीय नेता प्रतिपक्ष), श्री राम लाल ठाकुर (माननीय विधायक, श्री नैना देवी जी), श्री हर्षवर्धन चौहान (माननीय विधायक, शिलाई), श्री नंद लाल (माननीय विधायक, रामपुर), श्री राकेश सिंघा (माननीय विधायक, ठियोग), श्री सतपाल रायजादा (माननीय विधायक, ऊना), श्री भवानी सिंह (माननीय विधायक, फतेहपुर)**
प्रश्न	**किसानों के लिये विशेषकर सेब बागवानों के लिये कुछ भी नहीं किया गया है।**
उत्तर	2022–23 के बजट में कृषि पर विशेष बल दिया गया है। इसमें प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक मॉडल के साथ किसानों का प्रशिक्षण, प्राकृतिक उत्पादों की Certification तथा बाजार तक उनको पहुंचाने हेतु सुविधायें सम्मिलित हैं। पिछले कई वर्षों से कृषि तथा बागवानी क्षेत्र में बहुत सारी योजनायें overlap कर रही थीं। इस पर नीति आयोग के सदस्य श्री रमेश चन्द की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं। इन सिफारिशों के अनुरूप आवश्यक संशोधन किये जाएंगे जिससे कि किसानों को समय पर उचित लाभ प्राप्त हो सकेंगे। ➢ किसानों की ही सुविधा के लिये आगामी रबी खरीद प्रदेश के 11 स्थानों पर सुनिश्चित की जाएगी। ➢ किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से हींग तथा केसर की खेती की सफलता के बाद प्रदेश में अब मौंक फूट, ड्रैगन फूट तथा मेवों की खेती पर भी बल दिया जाएगा। ➢ मक्की तथा गेहूं की local varieties को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बजट प्रावधानों

	को दोगुना किया गया है। ➢ किसान भाईयों को और अधिक सशक्त करने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से FPOs के माध्यम से तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ➢ बागवानी उत्पाद के लिये Value Chain के उद्देश्य से CA Stores, Fruit Processing Units तथा सिंचाई पर निवेश को बढ़ाया गया है। ➢ मछली पालन क्षेत्र में नई पहल करते हुये अनुदान पर मोटर साईकिल, थ्री व्हीलर तथा नावें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ➢ पशुपालन क्षेत्र में किसानों के द्वार तक सेवायें पहुंचाने के उद्देश्य से 44 मोबाईल वैटनरी एम्बुलैंसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने में किसानों तथा बागवानों का महत्वपूर्ण योगदान है तथा उनकी आय बढ़ाने के लिये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।

वक्ता का नाम (पक्ष तथा विपक्ष में वक्तव्य)	**श्री मुकेश अग्निहोत्री (माननीय नेता प्रतिपक्ष), श्री आशीष बुटेल (माननीय विधायक, पालमपुर), श्री पवन काजल (माननीय विधायक, काँगड़ा), श्रीमती रीना कश्यप (माननीया विधायक, पच्छाद)**
प्रश्न	**अ. सामाजिक सुरक्षा पैंशन के अन्तर्गत 2022-23 में केवल 40 हजार नये लाभार्थियों को लाया जाएगा। सभी लाभार्थियों को एक समान 1700 रुपये प्रतिमाह पैंशन दी जानी चाहिए।** **ब. 60 से 65 वर्ष तक 65 से 69 वर्ष की आयु के लाभार्थियों के लिये सामाजिक सुरक्षा पैंशन के बारे कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है।**
उत्तर	अ. 2022-23 में 40 हजार लाभार्थी केवल ऐसे हैं हो कि 2022-23 के बजट में की गई घोषणाओं से पूर्व इस योजना के अन्तर्गत लाभ पाने के पात्र हैं। इन घोषणाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् लगभग 60 हजार और लाभार्थी लाभान्वित होंगे तथा इस प्रकार कुल 1 लाख से अधिक नये लाभार्थियों को 2022-23 के दौरान लाभ मिल पाएगा। अगले वर्ष लगभग साढ़े सात लाख लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन दी जाएगी जिस पर 1300 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। ब. 65 से 69 वर्ष की महिलाओं को पिछले वर्ष ही बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पैंशन का लाभ दिया गया था। 2022-23 में 60 से 64 वर्ष की महिलाओं तथा 60 से 69 वर्ष तक के पुरुषों को भी इस योजना का लाभ मिल पाएगा।

क्र. सं.	पैंशन लाभार्थियों की श्रेणी/ वर्ग	वर्तमान में दी जा रही प्रतिमाह पैंशन (रुपये में)	2022–23 हेतु प्रस्तुत बजट में की गई वृद्धि उपरान्त प्रतिमाह पैंशन (रुपये में)	पैंशन राशि में प्रतिमाह बढ़ौतरी (रुपये में)
1.	कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता	850	1000	150
2.	ट्रांसजैंडर को पैंशन	850	1000	150
3.	60 से 69 वर्ष आयु वगर्ग के पुरुषों और 60 से 64 आयु वर्ग की महिलाओं को वृद्धावस्था पैंशन	850	1000	150
4.	40 से 69 प्रतिशत दिव्यांगजनों को दिव्यांग राहत भत्ता	1000	1150	150
5.	65 से 69 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था पैंशन	1000	1150	150
6.	विधवा/ परित्यक्त/ एकल नारी पैंशन	1000	1150	150
7.	70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग पैंशनरों को दिव्यांग राहत भत्ता	1500	1700	200
8.	70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पैंशन	1500	1700	200

वक्ता का नाम (पक्ष तथा विपक्ष में वक्तव्य)	**श्री मुकेश अग्निहोत्री (माननीय नेता प्रतिपक्ष), श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर (माननीय मंत्री एवं विधायक, धर्मपुर), श्री आशीष बुटेल (माननीय विधायक, पालमपुर), श्री सतपाल रायजादा (माननीय विधायक, ऊना)**
प्रश्न	**पर्यटन अधोसंरचना विकास के लिये ADB के माध्यम से कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है तथा इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पतियां बहुत कम दामों में लीज़ आउट कर दी गई हैं।**
उत्तर	पुराना ADB Prpoject सितम्बर, 2020 में समाप्त हो गया था और इस बजट में वर्णित 2 हजार 95 करोड़ रुपये की लागत वाला नया प्रोजेक्ट ADB के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा इस पर दिसम्बर, 2021 में अपनी सहमति प्रदान कर दी गई है तथा ADB के साथ आगे की वार्ता की जा रही है। इस वार्ता के पूरा होते ही Loan Agreement sign कर लिया जाएगा तथा on-site कार्यान्वयन आरम्भ कर दिया जाएगा। इसके लिये आवश्यक निविदायें शीघ्र ही आमन्त्रित की जाएंगी जिनका वर्णन बजट अभिभाषण में विस्तारपूर्वक किया गया है। पुराने ADB Project के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पतियों को अगस्त, 2010 में हस्ताक्षरित Tripartite Framework Financing Agreement की अनुपालना में ही लीज़ किया गया है। तीन परिसम्पत्तियों क्रमशः आर्ट क्राफ्ट सेंटर बड़ाग्रां मनाली को 1 करोड़ 55 लाख रुपये वार्षिक लीज़ मनी पर 16 वर्ष के लिये, Cultural Centre, Janjehali को 17 लाख 52 हजार सालाना पर 15 वर्षों के लिये तथा Convention Centre, Mandi को 25 लाख रुपये वार्षिक पर 10 वर्षों के लिये Upgradation तथा Operation and Maintenance के लिये निजी संस्थानों को लीज़ पर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में सभी औपचारिकतायें पारदर्शिता

	के साथ सुनिश्चित की गई हैं। क्यारीघाट Convention Centre को पर्यटन विकास निगम द्वारा ही चलाया जाएगा।

वक्ता का नाम (पक्ष तथा विपक्ष में वक्तव्य)	**श्री मुकेश अग्निहोत्री (माननीय नेता प्रतिपक्ष), श्री महिन्द्र सिंह ठाकुर (माननीय मंत्री एवं विधायक, धर्मपुर), श्री राकेश पठानिया (माननीय मंत्री एवं विधायक, नूरपुर), श्री राम लाल ठाकुर (माननीय विधायक, श्री नैना देवी जी), श्री पवन काजल (माननीय विधायक, काँगड़ा), श्री विनय कुमार (माननीय विधायक, श्री रेणुका जी), श्री मोहन लाल ब्राक्टा (माननीय विधायक, रोहड़ू)**
प्रश्न	**जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में भारी अनियमिततायें हुई हैं।**
उत्तर	सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों की अनुपालना में ही ऑनलाईन निविदायें आमन्त्रित की गई हैं। इससे न केवल पारदर्शिता बल्कि व्यापक भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 20 करोड़ से अधिक लागत के 20 कार्य विभिन्न मण्डलों द्वारा आवंटित किये गये हैं। इन कार्यों को उन्हीं पंजीकृत ठेकेदारों को आवंटित किया गया है जो कि पात्र पाये गये।

वक्ता का नाम (पक्ष तथा विपक्ष में वक्तव्य)	**श्री मुकेश अग्निहोत्री (माननीय नेता प्रतिपक्ष), श्री राकेश पठानिया (माननीय मंत्री एवं विधायक, नूरपुर)**
प्रश्न	**"Bulk Drug Park" तथा चिकित्सा उपकरण पार्क के सम्बन्ध में।**
उत्तर	**1. चिकित्सा उपकरण पार्कः–** • राज्य में चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है तथा इसके लिए आधारभूत संरचना हेतु योजना बनाने का कार्य आरम्भ किया जा चुका है। जिसके लिए भारत सरकार शीघ्र ही केन्द्रीय अनुदान राशि जारी कर देगी तथा यह कार्य तुरन्त आरम्भ कर दिया जाएगा। **2. बल्क ड्रग पार्कः–** • हालांकि"बजट भाषण" में बल्क ड्रग पार्क का कोई जिक्र नहीं किया गया है इस बारे भारत सरकार द्वारा मांगे गये सभी स्पष्टीकरण उपलब्ध करवा दिये गये हैं। अब बल्क ड्रग पार्क की बोली की मूल्यांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में है जिसे भारत सरकार द्वारा शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

वक्ता का नाम (पक्ष तथा विपक्ष में वक्तव्य)	**श्री मुकेश अग्निहोत्री (माननीय नेता प्रतिपक्ष), श्री गोबिंद ठाकुर (माननीय मंत्री एवं विधायक, मनाली), श्री राकेश पठानिया (माननीय मंत्री एवं विधायक, नूरपुर)**
प्रश्न	**ग्लोबल इन्वेस्टर मीट** के सम्बन्ध में।
उत्तर	प्रदेश सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के निरन्तरीकरण में प्रदेश सरकार द्वारा 96 हजार 721 करोड़ रुपये के 703 MoU हस्ताक्षरित किये गये जिनमें से 41 हजार 685 करोड़ रुपये के 523 MoU की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। मुख्य निवेशकों में मैसर्ज़ वोल्ट एनर्जी इनकोर्पोरेशन द्वारा 100 करोड़ रुपये, ग्रेट हिमालयन फार्म फ्रेश द्वारा 70 करोड़ रुपये, मोरपेन लैबोरेटरीज़ द्वारा 178 करोड़ रुपये, प्रोक्टर एण्ड गैम्बलस द्वारा 159 करोड़ रुपये, एबट हैल्थ केयर द्वारा 101 करोड़ रुपये, ऐश्वर्या लाइफसाईंसिज़ द्वारा 100 करोड़ रुपये, नेसले इण्डिया लिमिटिड द्वारा 197 करोड़ रुपये, प्रीमियर एलकोबेव द्वारा 200 करोड़ रुपये, बी.ई. फार्मास्यूटिकलज द्वारा 202 करोड़, एसएमपीपी प्राईवेट लि0 द्वारा 3,000 करोड़ रुपये का निवेश इत्यादि सम्मिलित हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में मुख्य निवेशकों में SJVNL द्वारा 3,400 करोड़ रुपये तथा HP Corporation Ltd. द्वारा 6,947 करोड़ रुपये का निवेश मुख्य है।

वक्ता का नाम (पक्ष तथा विपक्ष में वक्तव्य)	**श्री मुकेश अग्निहोत्री (माननीय नेता प्रतिपक्ष)**
प्रश्न	**प्रदेश में अवैध खनन।**
उत्तर	• सरकार द्वारा खनिजों के अवैध खनन, भण्डारण तथा ढुलाई में संलिप्त दोषियों की सजा बढ़ाकर 2 साल की कर दी गई है तथा जुर्माना 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर दिया गया है। • नदी–नालों में बिना अनुमति के खनन के लिये जुर्माना 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार न्यूनतम कर दिया गया है। • गत चार वर्षों में अवैध खनन और अवैध ढुलान के 38 हजार 982 मामले पकड़े गये हैं जिनसे 19 करोड़ 95 लाख रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है। • वैज्ञानिक खनन को प्रोत्साहित करने के लिये नियमों में किये गये बदलावों के फलस्वरूप वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 1 हजार 158 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्रित किया गया है जबकि पिछली सरकार द्वारा पांच वर्षों में केवल 711 करोड़ रुपये राजस्व एकत्रित किया गया था। • अवैध खनन तथा ढुलान की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन चौकियां स्थापित की गई हैं। हाल ही में सोलन जिला तथा ऊना में 5 भारोत्तोलक चौकियां स्थापित की गई हैं ताकि ढुलान की निगरानी की जा सके। • खनन् पट्टा आवेदन तथा स्वीकृति के लिये ऑनलाईन पोर्टल आरम्भ किया गया है जिसके माध्यम से सरकार को अब तक 141 करोड़ रुपये एकत्रित किये गये हैं। • W/X फार्म के दुरुपयोग को रोकने के लिये इसे M परिवहन पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा।

बात कहनी है तो फिर ठोक बजा कर कहिये,
जिस से कहनी हो उसी को ही सुना कर कहिये।
जागते लोगों को बस एक इशारा काफी,
सोने वालों से जो कहना है ज़रा हिला कर कहिये।।

हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए,
आँधियों में जलाये हैं बुझते दीये।

अटल बिहारी वाजपेई

मैं तानों की आवाज़ को तालियों के शोर में बदल दूंगा,
ज़रा मुझे कामयाब तो होने दें।

वही बदलते हैं दुनिया को,
जो सम्भव की हर सीमा को जानते हैं।
मंज़िलें उन्हीं को मिलती हैं,
जो असम्भव से आगे निकलना जानते हैं।।

सपने और लक्ष्य में एक ही अन्तर है–
सपने के लिये बिना मेहनत की नींद चाहिए।
और लक्ष्य के लिये बिना नींद की मेहनत।।

अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरन्त समझ नहीं आते,
उन्हें पढ़ना पड़ता है।

अगर तुम्हें यकीं है अपने शक पर,
तो हमें भी शक है तुम्हारे यकीं पर।

बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं,
लेकिन बातों का मतलब समझना किसी–किसी को आता है।

बहुत चाहा कि तेरी हाँ को हाँ कहूँ,
जुबां पर क्या कहूँ सच की इनायत है।